

प्रारूप-2

भाग-1 (प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

परियोजना विवरण :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

- 1-क) अपेक्षित वन भूमि के लिये प्रस्ताव/ परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण। जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगाँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य हेतु सिविल सोयम 1.2825 है० आरक्षित वन भूमि 6.1650 है० योग 7.4475 है० हेतु वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव।
- ख) 1:50000 स्केल मैप पर वनभूमि और उसके आस-पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप
- ग) परियोजना की लागत रु० 671.55 लाख
- घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य। इस परियोजना हेतु अन्य वैकल्पिक भूमि उपलब्ध न होने के कारण इस योजना को वन क्षेत्र में स्थापित किया गया है।
- ड) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिये) संलग्न है।
- च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है। लगभग 47212 रोजगार दिवस उपलब्ध होंगे।
2. कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरण : आरक्षित वनभूमि : 6.1650 है०, = (4.0725 + 2.0925)
- अपर समुचा वन उभागा, ढाकोट** → सिविल सोयम भूमि - 1.2825 है०
योग - 4.2226 है० **टॉप वन उभागा, पुरोला**
3. परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण यदि कोई है
- क) परिवारों की संख्या - 130
- ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या -
- ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिये) -
4. क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मंजूरी आवश्यक है ? (हाँ/नहीं) आवश्यकता नहीं है।
5. प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की बचनबद्धता (बचनबद्धता संलग्न की जाय) प्रतिपूरक वनीकरण तथा उसके अनुरक्षण अथवा दण्ड स्वरूप लागत के साथ राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा तैयार की गयी योजना के अनुसार संरक्षण लागत आदि क्षेत्र में पुनः वनीकरण हेतु नियमानुसार राज्य सरकार/वन विभाग द्वारा जो भी मांग की जायेगी ग्राम्य विकास विभाग देने हेतु वचनबद्ध है।
- प्रमाण-पत्र प्रस्ताव में संलग्न है।
6. निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण भारत सरकार की गाइड लाइन्स के अनुसार सभी अपेक्षित प्रमाण-पत्र सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्ताव में संलग्न है।

दिनांक.....

स्थान :- पुरोला

Rumar
कनिष्ठ अभियंता

सि०ख०, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

Anil
सहायक अभियंता

सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

S
अधिशाली अभियंता

सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई, पुरोला

S

अपर यमुना वन उम्राग बडकोट

भाग-II

(सम्बन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है।)

प्रस्ताव की राज्य क्रम संख्या.....

7	परियोजना स्कीम का स्थान	जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड नौगांव के अन्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत नौगांव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थलीगांव तक (10.175 कि०मी०) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 9.581 है० वन भूमि का पी०एम०जी०एस०वाई, पुरोला को वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।
(i)	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	उत्तराखण्ड राज्य
(ii)	जिला	उत्तरकाशी
(iii)	वन प्रभाग	अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट।
(iv)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है० में	9.581 है०
(v)	वन की कानूनी स्थिति	1- 4.0725 है० आरक्षित वन भूमि, भंकोली कक्ष 2बी 2- 1.2825 है० सिविल भूमि, ग्राम थली 3- 4.225 है० सिविल भूमि ग्राम थली मकडिस्पोजल हेतु 9.581 है०
(vi)	हरियाली का घनत्व	०.5
(vii)	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाये)। सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध में एफ०आर०एल०-2मीटर पर परिगणना और एफ०आर०एल०-4 मीटर भी संलग्न किये जाए)	प्रस्तावित निर्माण स्थल पर विभिन्न प्रजाति/व्यास वर्ग के कुल 313 वृक्ष बाधित है। वृक्षों की गणना/मूल्यांकन सूची प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(viii)	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशीलता पर संक्षिप्त टिप्पणी।	इस बावत भू-वैज्ञानिक की दि० 13.08.2010 की भू-गर्भीय आख्या प्रस्ताव के साथ संलग्न है।
(ix)	वनेत्तर प्रयोग के लिए प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी	प्रस्तावित/चयनित स्थल आरक्षित वन भूमि भंकोली कक्ष-2बी एवं सिविल भूमि ग्राम थली की सीमान्तर्गत है।
(x)	क्या फर्म राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जैवमण्डल रिजर्व, बाघ रिजर्व, हाथी कोरीडोर आदि का भाग है। (यदि हाँ क्षेत्र का व्यौरा और प्रमुख वन्य जीव वार्डन की टिप्पणियां अनुबंधित की जाए)	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(xi)	क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियां पायी जाती है। यदि हाँ तो तत्संबंधी व्यौरा दें।	नहीं।
(xii)	क्या कोई सुरक्षित पुरातत्वीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठापन और कोई अन्य महत्वपूर्ण	नहीं। इस बावत प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
8	प्रयोक्ता एजेसी द्वारा भाग-1 कालन-2 में प्रस्तावित वन भूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नहीं तो जांचे गये विकल्पों के व्यौरों के साथ मद वार संस्तुत क्षेत्र क्या है।	इस बावत प्रस्तावक विभाग एवं वन विभाग द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
9	क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो कार्य की अवधि, दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का व्यौरा दें क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी भी चल रहे हैं।	नहीं।
10	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का व्यौरा	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।

(i)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर क्षेत्र/अवक्रमित वन क्षेत्र, आस पास के वन से इसकी दूरी भू-खण्डों की संख्या, प्रत्येक भू-खण्ड का आकार।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण का प्राक्कलन एवं परियोजना स्थल के आसपास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण हेतु प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(ii)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित वनेतर/अवक्रमित वन क्षेत्र, और आस-पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप।	उपरोक्तानुसार।
(iii)	रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाचा आदि।	प्रजातिया-जलवायु के अनुरूप मिश्रित प्रजातियां कार्यान्वयन एजेंसी स्वयं वन विभाग समय-उच्चस्तर से स्वीकृति प्राप्त होने पर लागत-क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 1320792.00 एवं परियोजना स्थल के आस पास रिक्त पड़े स्थानों पर उचित वृक्षारोपण का प्राक्कलन भी प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
(iv)	प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिए कुल वित्तीय परिव्यय।	क्षतिपूरक वृक्षारोपण 1320792.00 का प्राक्कलन प्रस्ताव के साथ संलग्न है। रिक्त पड़े स्थानों पर वृक्षारोपण 4951223
(v)	प्रतिपूरक वनीकरण के लिए अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबन्धकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण-पत्र (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षरित किया जाए)	प्राक्कलन प्रतिहस्ताक्षरित व प्रमाणित है।
11.	उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपर्युक्त कालम 7 (Xi,xii), 8 और 9 में पूछे गये तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करें)	फील्ड स्तर के अधीनस्थ वन अधिकारी फील्ड स्टाफ राजस्व विभाग, एवं प्रस्तावक विभाग की संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट प्रतिहस्ताक्षर करके प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है। अधोहस्ताक्षरी द्वारा भी वर्णित क्षेत्र का निरीक्षण किया गया जो प्रस्ताव के साथ संलग्न किया गया है।
12.	विभाग/जिला प्रोफाइल	अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट जिला उत्तरकाशी
(i)	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	99279.707 है० अपर यमुना वन प्रभाग बड़कोट
(ii)	जिले का वन क्षेत्र	89379.711 है० अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट
(iii)	मामलों की संख्या सहित 1980 से वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र	कुल मामलों की संख्या 91 है। वनेतर प्रयोग में लाया गया कुल क्षेत्र 135.1275 है०
(iv)	1980 से जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरक वनीकरण (क) दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वन भूमि- (ख) वनेतर भूमि पर-	क- 270.255 है० ख- रिक्त
(v)	अब तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति (क) वन भूमि पर (ख) वनेतर भूमि पर	क- 224.62 है० ख - रिक्त
13-	प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रश्नगत क्षेत्र की तकनीकी एवं स्थानीय विधि एवं नियमों के परिपेक्ष्य में प्रस्तावक विभाग के स्तर पर करवाना होगा। अतः संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट एवं प्रस्ताव में प्राप्त प्रमाण पत्रों/दस्तावेजों के अनुसार अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 9-9-2015 को प्रश्नगम भूमि का स्थलीय निरीक्षण किये जाने के उपरान्त जनहित में इस मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रभाग स्तर से संस्तुति की जाती है।

दिनांक

स्थान

h
प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रारूप-3

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगोंव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र - उत्तराखण्डII. जिला - उत्तरकाशीIII. जिला वन प्रभाग - अपर यमुना वन प्रभाग, बखोट रंग टेंस वन प्रभाग, पुरोला

IV. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

17. पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति: 2.09254918. अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा: उत्तराखण्ड वन भूमि

I. वन का प्रकार

II. वनस्पति का औसत पूर्ण धनत्व 0.20III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना सलगुन 67IV. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा मोटर मार्ग के निर्माण के लिए प्लाट

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पणी

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी : सामान्य

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :

I. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहींIII. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहींIV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाएं) नहींV. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे नहीं22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें) नहीं

23. पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें :

I. क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। हां

II. यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है।

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)

II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्बलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

- III. क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (हां/नहीं)
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति। **सिविल सोमन भक्ति**
 - II. अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। **सलेगन डी**
 - III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है। **सलेगन डी**
 - I. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं (हां/नहीं)। **डी**
 - II. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिव्यय : **सलेगन डी**
 - III. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं (हां/नहीं)।
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)।
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशें

स्थान:

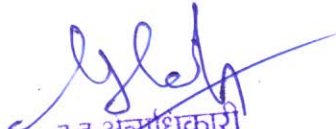
हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रातारीख:

(21/02/2015 9:30 AM)
9.00


जिला अधिकारी
पुरोला


वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला


तहसीलदार
पुरोला


उप प्रभागीय वनाधिकारी
टोम्ब वन प्रभाग,
पुरोला


(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
टैंस वन प्रभाग, पुरोला

भाग-2 (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

परियोजना का नाम :-

जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत, नौगांव
-पुरोला मोटर मार्ग के किमी 0 2.00 से थली गांव तक मोटर का निर्माण ।

16. परियोजना या स्कीम की अवस्थिति

- I. राज्य/संघराज्यक्षेत्र : उत्तराखण्ड
- II. जिला : उत्तरकाशी
- III. जिला वन प्रभाग : अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट एंव टौस वन प्रभाग, पुरोला

पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र :

17. पूर्वक्षण के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति:- 2.0925 है 0

18. अप्रवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्पति का ब्यौरा:- चीड़ वन

I. वन का प्रकार :- चीड़ वन

II. वनस्पति का औसत पूर्ण घनत्व- 0.7

III. प्रजातिवार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपेक्षित वृक्षों की परिगणना की सूची- संलग्न है।

IV. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यकरण योजना का नुस्खा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रस्ताव।

19. भूक्षरण के लिए पूर्वक्षण हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त भूक्षरण के लिए संवेदनशील नहीं

20. वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी :- 1.00 किमी 0

21. वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षण में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता :- उपयोगी नहीं है।

I. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्यौरा :- हिरन, काकड़, लोमड़ी

II. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव उत्प्रवास गलियारे आदि के भाग क
I निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्यौरे और उपाबद्ध किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका
टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)- नहीं

III. क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षण के लिए उपयोग कीजाने वाली
प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की
टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)- नहीं

IV. क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षण के लिए उ
पयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो
क्षेत्र के ब्यौरे और मुख्या वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपाबद्ध की जाए)- नहीं

V. क्या क्षेत्र में वनस्पति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्यौरे- नहीं

22. क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है
(यदि ऐसा है तो उपाबद्ध किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्यौरा दें)-
नहीं

23. पूर्वक्षण के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दे :

I. क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और
परियोजना के लिए अति न्यूनतम है।- हों

II. यदि नहीं तो वन भूमि के सिफाई किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षण के लिए उपयोग किया जा सकता है।- हों

24. किए गए अतिक्रमण के ब्यौरे :

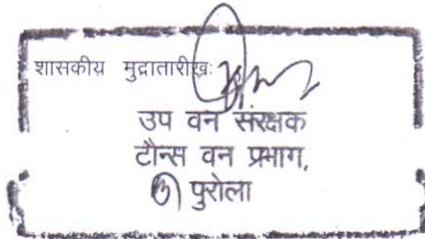
I. क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (हां/नहीं)-नहीं

- II. यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्वर्तित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्यौरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यो) के विरुद्ध की गई कार्यवाही— नहीं
- III. क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है — नहीं
25. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे :
- I. क्षतिपूरक वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्रास्थिति।— नालुका तोक सिविल सोयम भूमि
- II. अवस्थिति, सर्वेक्षण ग्रा कम्पार्टमेंट या खसरा संख्या क्षेत्र और क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्यौरे दें। — संलग्न है।
- III. क्षतिपूरक वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न है।— संलग्न है
- IV. रोपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत संरचना आदि सहित क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के ब्यौरे संलग्न हैं —हों
- V. क्षतिपूरक वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय :- पृष्ठ सं० से तक संलग्न है।
- VI. क्या क्षतिपूरक वनरोपण के लिए और प्रबंधन के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबद्ध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र संलग्न हैं — हों
26. वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट संलग्न है — हों
27. स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों— जनहित में मोटर मार्ग निर्माण की संस्तुति की जाती है।

स्थान:

हस्ताक्षर

नाम



प्रारूप-4

भाग-3

(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

28. क्या स्थल, जहां अंतर्वलित वन भूमि अवस्थित है उसका वन संरक्षक द्वारा निरीक्षण किया गया है (हां/ नहीं)। यदि हां, तो निरीक्षण टिप्पणी के रूप में किए गए निरीक्षण और संप्रेषण की तारीख संलग्न की जाय।
29. क्या वन संरक्षक भाग 2 में दी गई जानकारी और उप वन संरक्षक की सिफारिशों से सहमत हैं।
30. विस्तृत कारणों के साथ प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के लिए वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सिफारिशों

स्थान:

तारीख:

हस्ताक्षर

नाम

शासकीय मुद्रा

“प्रारूप ग”

वन भूमि में खनिजों के सर्वेक्षण के राज्य सरकारों और अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों को धारा 2 के अधीन पूर्व मंजूरी लेने वाला प्रारूप।

खनन / चुगान हेतु आवेदन भाग-1

(प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भरा जाए)

1. परियोजना के ब्यौरे :

- I. प्रयोक्ता अभिकरण का नाम, पता और संपर्क ब्यौरे -
- II. प्रयोक्ता अभिकरण की विधिक प्रारिथति
- III. आवेदन करने वाले व्यक्ति नाम, पदनाम और पता
- IV. प्रयोक्ता अभिकरण के निमित आवेदन करने के लिये इस आवेदन को करने वाले व्यक्ति की सक्षमता या प्राधिकरण के समर्थन में दस्तावेज (हां/नहीं)
- V. खोजी जाने वाली खनिज वस्तु
- VI. दोनों वन और गैर वन क्षेत्र में किये जाने वाले प्रस्तावित क्रियाकलापों का संक्षिप्त ब्यौरा
- VII. प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्वक्षण अनुज्ञप्ति की मंजूरी के लिये संबद्ध यथास्थिति मंत्रालय या विभाग द्वारा दिये जाने वाले अनुमोदन के ब्यौरे
- VIII. पूर्वक्षण पट्टे में सम्मिलित सम्मिलित वन और गैर वन भूमि के ब्यौरे
- IX. पूर्वक्षण के लिए अपेक्षित वन भूमि का कुल क्षेत्र :
 - (क) भूमि उपयोग स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
 - (ख) वन भूमि में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र
- X. कुल अवधि जिसके लिए वन भूमि पूर्वक्षण के लिए उपयोजित किए जाने के लिए प्रस्तावित है:
- XI. परियोजना की प्राक्कलित लागत :
- XII. ऐसी वन भूमि के उपयोग के लिए चालू प्रारिथति के साथ राज्य या संघ राज्यक्षेत्र में प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में यदि कोई है उपयोजित वन भूमि का ब्यौरा :
- XIII. प्रत्येक मामले में पूर्वक्षण की चालू प्रारिथति के साथ वन भूमि में खनिजों के पूर्वक्षण के लिए प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में पूर्व में दी गई अनुमति के ब्यौरे :

2. संलग्न मानचित्रों का ब्यौरा

- I. पूर्वक्षेत्र ब्लाक की सीमा दर्शित करने वाले 1:50000 स्केल के मूल में स्थल परतों का भारतीय सर्वेक्षण ; पूर्वक्षेत्र ब्लाक के भीतर अवस्थित वन भूमि के प्रत्येक टुकड़े की सीमा ; प्रत्येक नमूने प्लॉट की अवस्थितियाँ छेदन उपस्करों के परिवहन के लिए उपयोजित होने वाले वेध छिद्र स्थल सड़कों या पथमार्ग (साथ ही नए पथ के रास्ते को पृथक रूप से दिखाया न जाए) लगने वाले वनों की सीमाएं और पूर्वक्षेत्र आदि में पहचान की गई भूमि की सीमा से (10 किमी०) की दूरी पर अवस्थित संरक्षित क्षेत्र

टिप्पण 1 यदि 1:50000 स्केल में भारत के सर्वेक्षण स्थलपरत उपलब्ध नहीं हो तो विशेषतः अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के समीप अवस्थित क्षेत्र के मामले और भारत स्थलपरत के सर्वेक्षण के स्थान पर अन्य रणनीतिक अवस्थितियाँ सार्वजनिक कार्य क्षेत्र में उपलब्ध अन्य मानचित्रों का भी उपयोग किया जाए।

टिप्पण 2 तकनीकी कारणों से पूर्वक्षेत्र क्रियाकलाप करते समय, प्रयोक्ता अभिकरण 300 मीटर तक वेध-छिद्र नमूने प्लॉट खंड या पथ आदि की अवस्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं परन्तु उपयोग किए जाने वाले प्रस्तावित वन भूमि के क्षेत्र या काटे जाने वाले प्रस्तावित वृक्षों की संख्या प्रस्ताव में वही दी गई संख्या से अधिक नहीं होगी।

3. (i) वन भूमि में पूर्वक्षेत्र के लिए न्यायोचितता :
(ii) जांच किए गए विकल्पों के ब्यौरे :
(iii) गैर आक्रामक पूर्वक्षेत्र क्रिया कलाप के ब्यौरे यदि कोई हो, विस्तारित प्रस्ताव में उपदर्शित वन भूमि में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा किया गया हो

4. अनुसूचित क्षेत्रों में पूर्वक्षेत्र के लिए पहचान की गई वन भूमि अवस्थित है (हां/नहीं)

5. वन भूमि में किए जाने वाले प्रस्तावित क्रिया कलापों के ब्यौरे :

(i) सतह नमूने

- (क) ग्राह प्रतिचयन
(ख) चिप प्रतिचयन
(ग) खाँचा प्रतिचयन
(घ) चैनल प्रतिचयन
(ङ) प्रपुंज प्रतिचयन
(च) पॉक्ति अंतरालन नमूने सहित भू रसायन ग्रिड प्रतिचयन

(ii) गड्ढा या खाई बनाना

- (क) गड्ढों या खाइयों की संख्या और व्यास
(ख) उत्खनन की कुल मात्रा
(ग) गड्ढों या खाइयों के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि का क्षेत्र

(iii) वेधन

- (क) वेध छिद्रों या कुओं की संख्या और व्यास
(ख) वेध छिद्र या कुओं का अंतरालन
(ग) प्रत्येक विधछिद्र या कुओं पर अस्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र
(घ) प्रत्येक वेधछिद्र या कुओं पर स्थायी रूप से बाधित किए जाने वाले क्षेत्र, यदि कोई है
(ङ) वेध छिद्रों या कुओं का मापन
(च) वेधन कोर नमूनों की संख्या
(छ) वेधन कोर नमूनों की संख्या

(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण

- (क) निर्माण किए जाने वाली सड़कों या पथों की लंबाई और चौड़ाई
(ख) सड़कों या पथों के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र

(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें)

6. निम्नलिखित के कारण भूमि उपयोग में अस्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन भूमि का क्षेत्र

- (i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्ढा या खाई बनाना :
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

7. निम्नलिखित के लिए भूमि उपयोग में स्थायी परिवर्तन के अनुभव के लिए संभाव्य वन क्षेत्र

- (i) सतह प्रतिचयन :
(ii) गड्ढा या खाई बनाना :
(iii) वेधन :
(iv) सड़कों या पथों का संनिर्माण :
(v) कोई अन्य क्रियाकलाप (कृपया विनिर्दिष्ट करें) :

कुल :

8. पूर्वक्षेत्र के लिए विनियोजित होने के लिए मशीनरी या उपस्करों के ब्यौरे-

क्रम सं०	उपस्कर या मशीनरी का नाम	कर्षण का ढंग	आकार (एल X बी X एच)	प्राक्कलित विनियोजन (मशीनी घंटे)	अधिकतम शोर स्तर (डेसिबल)

9. वन भूमि में उपस्कर या मशीनों के परिवहन के लिए उपयोग किए जाने हेतु प्रस्तावित विद्यमान पथों या सड़कों का ब्यौरा।
10. पूर्वक्षण के लिए विनियोजित होने के लिए प्रस्तावित व्यक्तियों की वन भूमि में रुकने की लगभग संख्या और लगभग अवधि।
11. पूर्वक्षण के दौरान संगृहीत किए जाने के लिए प्रस्तावित अयस्क और अन्य नमूनों की प्राक्कलित मात्रा का सारांश (जलीय कार्बन सैक्टर के लिए लागू नहीं)
12. खनिज आरक्षण निर्धारण के लिए प्राक्कलित शुद्धता और आष्वस्त स्तर:
13. यदि वेध किए जाने के लिए प्रस्तावित वेधन छिद्रों की संख्या निम्नलिखित के द्वारा कम की जाती है तो प्राक्कलित शुद्धता और आष्वस्त स्तर:

		शुद्धता	स्तर (.)
(i)	(10%)		
(ii)	(20%)		
(iii)	(30%)		
(iv)	(40%)		
(v)	(50%)		

14.

यदि पूर्वक्षण या अतिरिक्त वेध छिद्रों के वेधन के लिए मंजूर की गई अनुज्ञा की अवधि के विस्तार हेतु प्रस्ताव है, कृपया निम्नलिखित अतिरिक्त जानकारी दें :-

- (i) पूर्व में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अधीन दिए गए अनुमोदन के ब्यौरे

क्रम सं०	दिए गए अनुमोदन की संख्या और तारीख	पूर्वक्षण (एच ए) के लिए अनुज्ञात वन भूमि का क्षेत्र	अनुमोदन की विधिमान्य अवधि	
			से	तक

- (ii) पूर्व में दिए गए अनुमोदन में अनुबद्ध शर्तों के अनुपालन की प्रास्थिति पर रिपोर्ट संलग्न है (हां/नहीं)
- (iii) उल्लंघन (नों), यदि कोई, किया है, के ब्यौरे।
- (iv) पूर्वक्षण के लिए दी गई अनुज्ञा के विस्तार के लिए न्यायोचितता।
- (v) अभी तक किए गए पूर्वक्षण क्रियाकलापों और संगृहीत नमूनों के ब्यौरे।

15. संलग्न दस्तावेजों के ब्यौरे-

तारीख:
स्थान:

हस्ताक्षर
(स्पष्ट अक्षरों में नाम)
पदनाम
पता (प्रयोक्ता अभिकरण का)

प्रस्ताव की राज्य क्रमांक सं०.....
(प्राप्ति की तारीख सहित नोडल अधिकारी द्वारा भरा जाए)

प्रारूप-5

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत नौगँव-पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से थली गांव तक मोटर मार्ग का निर्माण।

परियोजना की वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति का प्रमाण-पत्र

प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित परियोजना हेतु निर्गत शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति की छायाप्रति प्रमाणित कर संलग्न की जानी है। यदि कतिपय परियोजनाओं की एकमुश्त स्वीकृति प्राप्त हो तो प्रस्तावित परियोजना की स्वीकृति को हाई लाईट किया जाय।

प्रमाण- पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना हेतु शासकीय वित्तीय/प्रशासनिक स्वीकृति शासनादेश सं० 1760/पी० 3-14/यू०आर०आर०डी०ए०/09 दिनांक 14 दिसम्बर 2009 द्वारा 10.175 कि०मी० में मोटर मार्ग निर्माण हेतु प्राप्त है। (स्वीकृति का शासनादेश संलग्न है)

Ruman

Am
**Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)**

[Signature]

[Signature]
अधिशायी अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.जी.एस.वाई,
पुरोला

वन एवं ग्राम्य विकास शाखा
उत्तराखण्ड शासन
देहरादून

संख्या: 1760 / पी03-14 / यू.आर.आर.डी.ए. / 09

दिनांक: 14 दिसम्बर, 2009

कार्यालय ज्ञाप

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-VIII के अन्तर्गत 250-499 तक जनसंख्या वाली असंयोजित दसावटों को बारहमासी सम्पर्क मार्गों से संयोजित करने हेतु जनपदवार संलग्न परिशिष्ट 'क' के अनुसार 171 मार्गों, अनुमानित लम्बाई 1277.00 किमी० का चयन कोर नेटवर्क के अनुसार Comprehensive New Connectivity Priority List (CNCPL) से किया गया है। इन मार्गों के विस्तृत सर्वेक्षण, डी०पी०आर० एवं पैकेज गठन तथा मार्गों के समरेखण में पड़ने वाली वनभूमि हस्तान्तरण के प्रस्ताव तैयार कराकर पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार को वन भूमि हस्तान्तरण हेतु प्रेषित किये जाने के लिए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदत्त की जाती है। तत्पश्चात् इन मार्गों के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृति ग्रामीण विकास विभाग, भारत सरकार से प्राप्त होने पर पृथक से जारी की जायेगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे।

(ओम प्रकाश)

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

प्रतिनिधि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य अभियन्ता स्तर-1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, गढ़वाल क्षेत्र, पौड़ी एवं कुमाऊँ क्षेत्र, अल्मोड़ा।
3. नोडल अधिकारी एवं वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरानगर, देहरादून।
4. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. समस्त अधिशासी अभियन्ता, पी०आई०यू० (पी०एम०जी०एस०वाई०), उत्तराखण्ड।

सलग्नक: यथोपरि।

Amrakesh

सचिव,

ग्राम्य विकास विभाग

Photo Copy of the

Amrakesh
सहायक अभियन्ता
सि०यू०, लो०नि०वि०
उत्तरकाशी

Amrakesh

Assistant Engineer
P.M.G.S.Y. Irrigation Division
Purola (Uttarkashi)

Amrakesh

Block	Unconnected Target Habitation	Population	Name of Road		Approx. Length (Km)	Habitations to be Connected	
			From	To			
1	2	3	4	5	6	7	
District : Rudraprayag							
144	Agastyamuni	Tinsali	482	Jakhali Guptkashi Mt Rd	Taljaman	3.00	Tinsali(482), Taljaman(433)
145	Agastyamuni	Damar	480	Nag Jagagi	Damar	5.00	Damar(480), Barmwari(431)
146	Agastyamuni	Dungari	447	San	Bajyun	14.00	Dungari(447), Chapar(446), Dungari(389), Chamswaa(338), Chamak(333), Darmwadi(331), Gadmil(324), Syund Dhamk(313), Bajyun (389)
147	Ukhimath	Uthing	413	Kyark Band	Pailing	5.00	Uthing(413), Pailing(371)
148	Agastyamuni	Gudora	379	Ratura	Gudora	5.00	Gudora(379)
149	Agastyamuni	Kalna	343	Shiv Nandi	Simtali	5.00	Kalna(343), Simtoli(276)
150	Jakholi	Bhagna	323	Tuneta	Bhagna	5.00	Bhagna(323)
151	Jakholi	Mawan Gaon	318	Tuneta	Mawan Gaon	2.50	Mawan Gaon(318)
				Total		44.50	
District : Uttarkashi							
152	Dunda	Kumarkot	485	D T Road	Kumarkot	3.00	Kumarkot(485) Survey
153	Bhatwari	Sari	434	Malla	Sari	10.00	Saura(428), Sari(434)
154	Mori	Bingasari	431	Kalasi	Bingasari	8.00	Bingasari(431) Survey
155	Bhatwari	Naugaon	431	Gajoli	Naugaon	5.00	Naugaon(431)
156	Bhatwari	Salang	412	Thirang	Salang	4.00	Salang(412)
157	Naugaon	Thali	404	Naugaon	Chhamrota	12.00	Thali(404), Chhamrota(270)
158	Bhatwari	Silla	399	Malla Sari Mt Rd	Silla	4.00	Silla(399), Bhelatipri(304)
159	Naugaon	Kathur	396	Rana	Durbil	8.00	Kathur(396), Durbil(307) D.P.R.
160	Bhatwari	Kamar	387	Jamak	Kamar	9.00	Jamak(337), Kamar(387)
161	Naugaon	Chopra	387	Nyuri	Chopara	14.00	Chopra(387)
162	Bhatwari	Bagiyal Gaon	380	Mahidanda Mt Rd	Bagiyal Gaon	2.00	Bagiyal Gaon(380)
163	Dunda	Painthar	374	Nalupani - Syalna	Painthar	2.00	Painthar(374) D.P.R.
164	Chiniyalisaur	Garath	372	Garath	Link Rd	5.00	Garath(372)
165	Bhatwari	Sayawa	366	Bayana	Sayawa	6.00	Sayawa(366)
166	Naugaon	Darsaun	359	Semal Sari	Gair	8.00	Darsaun(359), Gair(302) Survey
167	Naugaon	Pindki	354	Hanumanchatti	Bariya	8.00	Bariya(317), Nishni(319), Dangur Gaon(317), Pindki(354)
168	Dunda	Dungal Gaon	316	Baksari	Dhungal Gaon	3.00	Dungal Gaon(316) Survey
169	Dunda	Dikholi	315	Bhetiyara	Lodhara	7.00	Dikholi(315), Chaundiya Gaon(249), Lodhara(300) Survey
170	Purola	Syaluka	291	Rama	Syaluka	12.00	Syaluka(291) Disputed
171	Naugaon	Garh	280	Semal Sari	Dewal	10.00	Garh(280), Dewal(252)
				Total		140.00	
				Grand Total		1277.00	

J. N. Chie Executive & S.E.
 R.D.A. Dehradun
 gangnam-Bhageli Approach to Bhageli village road
 15 K.M-4 East point of

Secretary
 Rural Development Deptt.
 Govt. of Uttarakhand

सहायक अभियन्ता
 सि.र.ड.ओ. लो.नि.वि.वि.
 उत्तरकाशी

Assistant Engineer
 P.M.G.S. Irrigation Division
 Purola (Uttarkashi)

प्रारूप-6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 11/08/2015 को सिंचाई खण्ड, पीएमजीएसवाई, पुरोला (एजेन्सी का नाम) के द्वारा नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग कि०मी० 2 से थली गॉव तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री दिनेश लाल, वन क्षेत्राधिकारी नौगाँव रेंज, राजस्व विभाग की ओर से श्री बालमिया राजस्व उपनिरीक्षक, भंकोली प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आनन्द मोहन रायजादा, सहायक अभियंता, अन्य दावेदारों की ओर से श्री बुद्धि सिंह राणा, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम थली तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती शुशीला देवी प्रधान ग्राम पंचायत थली के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनों के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 1050.00 (मी०) नाप भूमि. से, 1425.00 (मी०) सिविल भूमि से, 0 (मी०) वन पंचायत से, 4525.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन / स्थल के चयन में कुल 0.945 हे० नाप भूमि, 1.2825 हे० सिविल भूमि, 0 हे० वन पंचायत भूमि, 4.0725 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 5.3550 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी एवं नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग कि०मी० 2 से थली गॉव की सम्पूर्ण मोटर मार्ग हेतु मक डिस्पोजल के लिये 4.226 हे० सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 313 वृक्ष चीड़, कोकाट, तुन, सेमल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

उपरोक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग के इस समरेखन की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 560.00 (मी०) नाप भूमि. से, 1440.00 (मी०) सिविल भूमि से, शून्य (मी०) वन पंचायत से, 7325.00 (मी०) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.504 हे० नाप भूमि, 1.296 हे० सिविल भूमि शून्य हे० वन पंचायत भूमि 6.5925 हे० आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 7.8885 हे० भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर / चुने गये स्थल पर लगभग 810 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन आरक्षित वन 01 कक्षों से गुजरेगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन सामान्य है एवं इन कक्षों में विभिन्न प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.945 हे० पर शून्य प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.20 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान 30°47'25.16"N, 78°07'14.63"E है तथा यह स्थल नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग के कि०मी० 2 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखन का अन्तिम स्थल ग्राम थली है जिसका GPS मान 30°47'10.47"N, 78°06'21.30"E है। चुने गये समरेखन/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान 30°47'52.84"N, 78°06'47.81"E हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानन्तरित (translocate) किया जाना आवश्क होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखन के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखन पर मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 05 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान (1) 30°47'20.12"N, 78°07'11.95"E, (2) 30°47'10.95"N, 78°07'9.29"E, (3) 30°47'19.42"N, 78°07'9.32"E, (4) 30°47'27.32"N, 78°07'5.61"E, (5) 30°47'10.63"N, 78°06'21.60"E हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों को मोटर मार्ग यातायात की सुविधा प्राप्त होगी एवं साथ ही स्थानीय कास्तकार मोटर मार्ग के द्वारा अपनी नगदी फसलों को कम दूरी पर स्थानीय मण्डियों में विपणन हेतु पहुँचा पायेंगे, इससे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

(ए०एम० रायजादा)
सहायक अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.
जी.एस.वाई, पुरोला
(उत्तरकाशी)
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(दिनेश लाल)
वन क्षेत्राधिकारी
नौगाँव रेंज, अपर
यमुना वन प्रभाग
बड़कोट
(वन विभाग)

(बालमिया लाल)
उपराजस्व निरीक्षक,
भंकोली पुरोला
(राजस्व विभाग)

(बुद्धि सिंह)
सामाजिक कार्यकर्ता
थली, पुरोला
(अन्य दावेदार)

(शुशीला देवी)
प्रधान ग्रामपंचायत
थली पुरोला
(जन प्रतिनिधि)

नोट- इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

(श्रीमती शुशीला देवी प्रधान)
अ.स.

वन पंचायतीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्यालय
प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट

संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 11-08-2015 को नौगांव से थली गांव तक प्रस्तावित मोटर मार्गकासंयुक्त निरीक्षण पी.एम जी एस वाई निर्माण खण्ड पुरोला के अवर अभियन्ता श्री पंकज तथा क्षेत्रीय पटवारी श्री बालमिया एवं नौगांव रेंज के कर्मचारी श्री शम्भू प्रसाद पैन्दूली वन दरोगा श्री विजेन्द्र सिंह विष्ट वन आरक्षी द्वारा सिविल भूमि एवं वन विभाग की आरक्षित वन भूमि में मोटर मार्ग में बाधक वृक्षों की गणना कर निम्न प्रकार से सूची तैयार की गई है 1 मीटर से 7 मीटर तक की पट्टी में आने वाले सिविल सोयम की भूमि में वृक्षों की सूची 7मीटर के अन्तर्गत

क्रम सं०	प्रजातिया	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	श्रीमत् यमुना व्रत उत्तराखण्ड देहरादून की दि० 01-07-2012 से लागू अनुसूचित दरें तथा शिवालिक व्रत देहरादून थी दि० 15-06-2012 से लागू अनुसूचित दरें
1	कोकट हरा खड़ा	10-20	15	1350.00
2	कोकट हरा खड़ा	20-30	16	13200.00
3	कोकट हरा खड़ा	30-40	19	49856.00
4	कोकट हरा खड़ा	40-50	5	23405.00
5	कोकट हरा खड़ा	50-60	2	13686.00
6	कोकट हरा खड़ा	60-70	1	9263.00
7	चीड़ हरा खड़ा	10-20	1	240.00
8	चीड़ हरा खड़ा	20-30	3	1800.00
9	चीड़ हरा खड़ा	30-40	1	2330.00
10	सेमल हरा खड़ा	30-40	1	2603.00
11	चीड़ हरा खड़ा	40-50	1	5070.00
12	तुन हरा खड़ा	50-60	1	3430.00
13	चीड़ हरा खड़ा	50-60	2	17130.00
14	तुन हरा खड़ा	60-70	2	10640.00
15	चीड़ हरा खड़ा	60-70	2	26270.00
Total			72	180273.00

7 से 9 मीटर तक की पट्टी में आने वाले सिविल सोयम भूमि वृक्षों की सूची 2 मीटर के अन्तर्गत

16	कोकट हरा खड़ा	10-20	14	1260.00
17	कोकट हरा खड़ा	20-30	10	8250.00
18	कोकट हरा खड़ा	30-40	6	15744.00
19	कोकट हरा खड़ा	40-50	1	4681.00
20	चीड़ हरा खड़ा	20-30	2	1200.00
21	चीड़ हरा खड़ा	30-40	1	2330.00
Total			34	33465.00

आरक्षित वन भूमि भंकोली कक्ष संख्या 2वीं में 1मीटर से 7 मीटर तक की पट्टी में आने वाले वृक्षों की सूची

22	चीड़ हरा खड़ा	10-20	35	8400.00
23	चीड़ हरा खड़ा	20-30	50	30000.00
24	चीड़ हरा खड़ा	30-40	43	100190.00
25	चीड़ हरा खड़ा	40-50	9	45630.00
26	चीड़ हरा खड़ा	60-70	3	39405.00
27	चीड़ हरा खड़ा	70-80	2	37300.00
28	चीड़ हरा खड़ा	80-90	1	23860.00
29	चीड़ हरा खड़ा	90 से उपर	2	51600.00
30	देवदार हरा खड़ा	20-30	2	2400.00
Total			147	338785.00

(श्रीमत् यमुना वन प्रभाग)
अ.ई.

(Handwritten signature)

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(Handwritten signature)
JE

आरक्षित वन भूमि भंकोली कक्ष संख्या 2वी में 7मीटर से 9मीटर तक की पट्टी में आने वाले वृक्षों की सूची				
31	चीड़ हरा खड़ा	10-20	6	1440.00
32	चीड़ हरा खड़ा	20-30	37	22200.00
33	चीड़ हरा खड़ा	30-40	9	20970.00
34	चीड़ हरा खड़ा	40-50	6	30420.00
35	चीड़ हरा खड़ा	50-60	1	8565.00
36	चीड़ हरा खड़ा	60-70	1	13135.00
Total			60	96730.00

98

(शम्भु प्रसाद पैन्दूली)
वन दरोगा, भंकोली सैक्शन
नौगांव रेंज

11-8-15

(दिनेश कुमार)
वन क्षेत्राधिकारी,
नौगांव रेंज

(बालमिया)
पटवारी भंकोली
तहसील पुरोला

(पंकज कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बडकोट

नौगांव के किमी0 2 से थलीगांव के प्रस्तावित मोटर मार्ग में बाधक वृक्षों की गणना की सूची सिविल भूमि 1मी0 से 7.00मी0 की पट्टी में

क्रम सं०	प्रजाति	व्यास	क्रम सं०	प्रजाति	व्यास
1	कुकाट हरा खड़ा	20-30	37	कुकाट हरा खड़ा	40-50
2	कुकाट हरा खड़ा	50-60	38	कुकाट हरा खड़ा	30-40
3	कुकाट हरा खड़ा	20-30	39	कुकाट हरा खड़ा	20-30
4	वकायन	10-20	40	कुकाट हरा खड़ा	10-20
5	कुकाट हरा खड़ा	10-20	41	कुकाट हरा खड़ा	30-40
6	कुकाट हरा खड़ा	40-50	42	सेमल हरा खड़ा	30-40
7	कुकाट हरा खड़ा	10-20	43	कुकाट हरा खड़ा	50-60
8	कुकाट हरा खड़ा	10-20	44	कुकाट हरा खड़ा	30-40
9	कुकाट हरा खड़ा	40-50	45	तुन हरा खड़ा	60-70
10	कुकाट हरा खड़ा	60-70	46	कुकाट हरा खड़ा	10-20
11	कुकाट हरा खड़ा	10-20	47	कुकाट हरा खड़ा	30-40
12	कुकाट हरा खड़ा	60-70	48	कुकाट हरा खड़ा	10-20
13	कुकाट हरा खड़ा	20-30	49	कुकाट हरा खड़ा	10-20
14	कुकाट हरा खड़ा	30-40	50	कुकाट हरा खड़ा	20-30
15	कुकाट हरा खड़ा	20-30	51	कुकाट हरा खड़ा	10-20
16	कुकाट हरा खड़ा	20-30	52	कुकाट हरा खड़ा	30-40
17	कुकाट हरा खड़ा	20-30	53	कुकाट हरा खड़ा	30-40
18	कुकाट हरा खड़ा	10-20	54	कुकाट हरा खड़ा	30-40
19	कुकाट हरा खड़ा	10-20	55	कुकाट हरा खड़ा	10-20
20	कुकाट हरा खड़ा	40-50	56	तुन हरा खड़ा	50-60
21	कुकाट हरा खड़ा	10-20	57	चीड़ हरा खड़ा	30-40
22	कुकाट हरा खड़ा	10-20	58	कुकाट हरा खड़ा	60-70
23	कुकाट हरा खड़ा	30-40	59	कुकाट हरा खड़ा	40-50
24	कुकाट हरा खड़ा	30-40	60	कुकाट हरा खड़ा	60-70
25	कुकाट हरा खड़ा	20-30	61	कुकाट हरा खड़ा	20-30
26	कुकाट हरा खड़ा	40-50	62	कुकाट हरा खड़ा	10-20
27	कुकाट हरा खड़ा	20-30	63	कुकाट हरा खड़ा	20-30
28	कुकाट हरा खड़ा	30-40	64	कुकाट हरा खड़ा	20-30
29	कुकाट हरा खड़ा	20-30	65	कुकाट हरा खड़ा	50-60
30	कुकाट हरा खड़ा	20-30	66	कुकाट हरा खड़ा	50-60
31	कुकाट हरा खड़ा	20-30	67	कुकाट हरा खड़ा	20-30
32	कुकाट हरा खड़ा	30-40	68	कुकाट हरा खड़ा	30-40
33	कुकाट हरा खड़ा	20-30	69	कुकाट हरा खड़ा	40-50
34	कुकाट हरा खड़ा	30-40	70	कुकाट हरा खड़ा	30-40
35	कुकाट हरा खड़ा	30-40	71	कुकाट हरा खड़ा	20-30
36	कुकाट हरा खड़ा	20-30	72	कुकाट हरा खड़ा	30-40

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट (उत्तरकाशी)

अपर यमुना वन प्रभाग
बडकोट

Total = 72 वृक्ष

(अभिप्रेत - प्रस्तावित क्षेत्र)
अ.स.

अभिप्रेत
अ.स.

अभिप्रेत
अ.स.

सिविल भूमि

नौगांव के किमी 0 2 से थलीगांव के प्रस्तावित मोटर मार्ग में बाधक वृक्षों की गणना की सूची सिविल भूमि 7 मी 0 से 9 मी 0 की पट्टी में

क्रम सं०	प्रजाति	व्यास
1	कुकाट हरा खड़ा	10-20
2	कुकाट हरा खड़ा	10-20
3	कुकाट हरा खड़ा	30-40
4	कुकाट हरा खड़ा	30-40
5	कुकाट हरा खड़ा	10-20
6	कुकाट हरा खड़ा	10-20
7	कुकाट हरा खड़ा	10-20
8	कुकाट हरा खड़ा	10-20
9	कुकाट हरा खड़ा	30-40
10	कुकाट हरा खड़ा	30-40
11	कुकाट हरा खड़ा	30-40
12	कुकाट हरा खड़ा	30-40
13	कुकाट हरा खड़ा	10-20
14	कुकाट हरा खड़ा	20-30
15	कुकाट हरा खड़ा	10-20
16	कुकाट हरा खड़ा	20-30
17	कुकाट हरा खड़ा	10-20
18	कुकाट हरा खड़ा	30-40
19	कुकाट हरा खड़ा	20-30
20	कुकाट हरा खड़ा	20-30
21	कुकाट हरा खड़ा	20-30
22	चीड़ हरा खड़ा	30-40
23	कुकाट हरा खड़ा	20-30
24	कुकाट हरा खड़ा	20-30
25	कुकाट हरा खड़ा	20-30
26	कुकाट हरा खड़ा	10-20
27	कुकाट हरा खड़ा	40-50
28	कुकाट हरा खड़ा	20-30
29	कुकाट हरा खड़ा	10-20
30	कुकाट हरा खड़ा	20-30
31	कुकाट हरा खड़ा	10-20
32	कुकाट हरा खड़ा	10-20
33	कुकाट हरा खड़ा	10-20
34	चीड़ हरा खड़ा	20-30

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

Total = 34 वृक्ष

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

(सिद्धांत लाल यादव)
जा. ६-

सिद्धांत
R. S.
12/10/2017

रतन कुमार
मन्व्यो

Pranav
JE

आरक्षित वन भूमि

नौगांव के किमी 0 2 से थलीगांव के प्रस्तावित मोटर मार्ग में बाधक वृक्षों की
गणना की सूची वन भूमि 1 मी 0 से 4 मी 0 की पट्टी में

क्रम सं०	प्रजाति	व्यास	क्रम सं०	प्रजाति	व्यास
1	चीड़ हरा खड़ा	90-100	38	चीड़ हरा खड़ा	30-40
2	चीड़ हरा खड़ा	30-40	39	चीड़ हरा खड़ा	30-40
3	चीड़ हरा खड़ा	30-40	40	चीड़ हरा खड़ा	20-30
4	चीड़ हरा खड़ा	10-20	41	चीड़ हरा खड़ा	30-40
5	चीड़ हरा खड़ा	30-40	42	चीड़ हरा खड़ा	20-30
6	चीड़ हरा खड़ा	10-20	43	चीड़ हरा खड़ा	30-40
7	चीड़ हरा खड़ा	10-20	44	चीड़ हरा खड़ा	20-30
8	चीड़ हरा खड़ा	10-20	45	चीड़ हरा खड़ा	20-30
9	चीड़ हरा खड़ा	10-20	46	चीड़ हरा खड़ा	20-30
10	चीड़ हरा खड़ा	30-40	47	चीड़ हरा खड़ा	30-40
11	चीड़ हरा खड़ा	10-20	48	चीड़ हरा खड़ा	40-50
12	चीड़ हरा खड़ा	10-20	49	चीड़ हरा खड़ा	20-30
13	चीड़ हरा खड़ा	10-20	50	चीड़ हरा खड़ा	20-30
14	चीड़ हरा खड़ा	10-20	51	चीड़ हरा खड़ा	20-30
15	चीड़ हरा खड़ा	70-80	52	चीड़ हरा खड़ा	10-20
16	चीड़ हरा खड़ा	10-20	53	चीड़ हरा खड़ा	20-30
17	चीड़ हरा खड़ा	10-20	54	चीड़ हरा खड़ा	30-40
18	चीड़ हरा खड़ा	10-20	55	चीड़ हरा खड़ा	10-20
19	चीड़ हरा खड़ा	30-40	56	चीड़ हरा खड़ा	10-20
20	चीड़ हरा खड़ा	10-20	57	चीड़ हरा खड़ा	20-30
21	चीड़ हरा खड़ा	10-20	58	चीड़ हरा खड़ा	20-30
22	चीड़ हरा खड़ा	10-20	59	चीड़ हरा खड़ा	10-20
23	चीड़ हरा खड़ा	20-30	60	चीड़ हरा खड़ा	30-40
24	चीड़ हरा खड़ा	10-20	61	चीड़ हरा खड़ा	10-20
25	चीड़ हरा खड़ा	10-20	62	चीड़ हरा खड़ा	30-40
26	चीड़ हरा खड़ा	10-20	63	चीड़ हरा खड़ा	30-40
27	चीड़ हरा खड़ा	10-20	64	चीड़ हरा खड़ा	30-40
28	चीड़ हरा खड़ा	60-70	65	चीड़ हरा खड़ा	30-40
29	चीड़ हरा खड़ा	20-30	66	चीड़ हरा खड़ा	30-40
30	चीड़ हरा खड़ा	90-100	67	चीड़ हरा खड़ा	30-40
31	चीड़ हरा खड़ा	30-40	68	चीड़ हरा खड़ा	30-40
32	चीड़ हरा खड़ा	20-30	69	चीड़ हरा खड़ा	40-50
33	चीड़ हरा खड़ा	30-40	70	चीड़ हरा खड़ा	30-40
34	चीड़ हरा खड़ा	40-50	71	चीड़ हरा खड़ा	20-30
35	चीड़ हरा खड़ा	20-30	72	चीड़ हरा खड़ा	30-40
36	चीड़ हरा खड़ा	20-30	73	चीड़ हरा खड़ा	20-30
37	चीड़ हरा खड़ा	30-40	74	चीड़ हरा खड़ा	30-40

(21/02/2015) 4/15/2015

[Signature]

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

[Signature]

सारहित वन भूमि

क्रम सं०	प्रजाति	व्यास	क्रम सं०	प्रजाति	व्यास
75	चीड़ हरा खड़ा	30-40	112	चीड़ हरा खड़ा	20-30
76	चीड़ हरा खड़ा	20-30	113	चीड़ हरा खड़ा	30-40
77	चीड़ हरा खड़ा	20-30	114	चीड़ हरा खड़ा	20-30
78	चीड़ हरा खड़ा	20-30	115	चीड़ हरा खड़ा	20-30
79	चीड़ हरा खड़ा	20-30	116	चीड़ हरा खड़ा	20-30
80	चीड़ हरा खड़ा	30-40	117	चीड़ हरा खड़ा	40-50
81	चीड़ हरा खड़ा	30-40	118	चीड़ हरा खड़ा	40-50
82	चीड़ हरा खड़ा	20-30	119	चीड़ हरा खड़ा	30-40
83	चीड़ हरा खड़ा	20-30	120	चीड़ हरा खड़ा	10-20
84	चीड़ हरा खड़ा	20-30	121	चीड़ हरा खड़ा	20-30
85	चीड़ हरा खड़ा	20-30	122	चीड़ हरा खड़ा	20-30
86	चीड़ हरा खड़ा	30-40	123	चीड़ हरा खड़ा	20-30
87	चीड़ हरा खड़ा	30-40	124	चीड़ हरा खड़ा	20-30
88	चीड़ हरा खड़ा	20-30	125	चीड़ हरा खड़ा	20-30
89	चीड़ हरा खड़ा	20-30	126	चीड़ हरा खड़ा	30-40
90	चीड़ हरा खड़ा	30-40	127	चीड़ हरा खड़ा	40-50
91	चीड़ हरा खड़ा	20-30	128	चीड़ हरा खड़ा	20-30
92	चीड़ हरा खड़ा	10-20	129	चीड़ हरा खड़ा	40-50
93	चीड़ हरा खड़ा	10-20	130	चीड़ हरा खड़ा	20-30
94	चीड़ हरा खड़ा	30-40	131	चीड़ हरा खड़ा	20-30
95	चीड़ हरा खड़ा	20-30	132	चीड़ हरा खड़ा	20-30
96	चीड़ हरा खड़ा	10-20	133	चीड़ हरा खड़ा	40-50
97	चीड़ हरा खड़ा	20-30	134	चीड़ हरा खड़ा	20-30
98	चीड़ हरा खड़ा	30-40	135	चीड़ हरा खड़ा	30-40
99	चीड़ हरा खड़ा	20-30	136	चीड़ हरा खड़ा	30-40
100	चीड़ हरा खड़ा	20-30	137	चीड़ हरा खड़ा	20-30
101	चीड़ हरा खड़ा	20-30	138	चीड़ हरा खड़ा	10-20
102	चीड़ हरा खड़ा	10-20	139	चीड़ हरा खड़ा	10-20
103	चीड़ हरा खड़ा	10-20	140	चीड़ हरा खड़ा	10-20
104	चीड़ हरा खड़ा	60-70	141	देवदार हरा खड़ा	20-30
105	चीड़ हरा खड़ा	30-40	142	चीड़ हरा खड़ा	20-30
106	चीड़ हरा खड़ा	20-30	143	चीड़ हरा खड़ा	10-20
107	चीड़ हरा खड़ा	30-40	144	चीड़ हरा खड़ा	10-20
108	चीड़ हरा खड़ा	30-40	145	चीड़ हरा खड़ा	60-70
109	चीड़ हरा खड़ा	30-40	146	चीड़ हरा खड़ा	80-90
110	चीड़ हरा खड़ा	40-50	147	चीड़ हरा खड़ा	70-80
111	चीड़ हरा खड़ा	30-40		Total	147 261

(शिक्षण प्रशासनिक विभाग)
वा.ड.

दिनेश्वर
12.2.

रामेश्वर
प्रशासनिक

वन प्रशासकीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

Ram
26

आरक्षित वन भूमे

नौगांव के किमी 0 2 से थलीगांव के प्रस्तावित मोटर मार्ग में बाधक वृक्षों की गणना की सूची जिसकी भूमि 7 मी 0 से 9 मी 0 की पट्टी में

क्रम सं०	प्रजाति	व्यास	क्रम सं०	प्रजाति	व्यास
1	चीड़ हरा खड़ा	20-30	31	चीड़ हरा खड़ा	40-50
2	चीड़ हरा खड़ा	30-40	32	चीड़ हरा खड़ा	20-30
3	चीड़ हरा खड़ा	10-20	33	चीड़ हरा खड़ा	40-50
4	चीड़ हरा खड़ा	30-40	34	चीड़ हरा खड़ा	30-40
5	चीड़ हरा खड़ा	10-20	35	चीड़ हरा खड़ा	50-60
6	चीड़ हरा खड़ा	10-20	36	चीड़ हरा खड़ा	20-30
7	चीड़ हरा खड़ा	20-30	37	चीड़ हरा खड़ा	20-30
8	चीड़ हरा खड़ा	20-30	38	चीड़ हरा खड़ा	30-40
9	चीड़ हरा खड़ा	20-30	39	चीड़ हरा खड़ा	40-50
10	चीड़ हरा खड़ा	20-30	40	चीड़ हरा खड़ा	40-50
11	चीड़ हरा खड़ा	20-30	41	चीड़ हरा खड़ा	20-30
12	चीड़ हरा खड़ा	20-30	42	चीड़ हरा खड़ा	20-30
13	चीड़ हरा खड़ा	20-30	43	चीड़ हरा खड़ा	20-30
14	चीड़ हरा खड़ा	20-30	44	चीड़ हरा खड़ा	20-30
15	चीड़ हरा खड़ा	20-30	45	चीड़ हरा खड़ा	40-50
16	चीड़ हरा खड़ा	20-30	46	चीड़ हरा खड़ा	20-30
17	चीड़ हरा खड़ा	10-20	47	चीड़ हरा खड़ा	30-40
18	चीड़ हरा खड़ा	20-30	48	चीड़ हरा खड़ा	30-40
19	चीड़ हरा खड़ा	30-40	49	चीड़ हरा खड़ा	20-30
20	चीड़ हरा खड़ा	20-30	50	चीड़ हरा खड़ा	20-30
21	चीड़ हरा खड़ा	20-30	51	चीड़ हरा खड़ा	40-50
22	चीड़ हरा खड़ा	30-40	52	चीड़ हरा खड़ा	20-30
23	चीड़ हरा खड़ा	30-40	53	चीड़ हरा खड़ा	20-30
24	चीड़ हरा खड़ा	20-30	54	चीड़ हरा खड़ा	20-30
25	चीड़ हरा खड़ा	20-30	55	चीड़ हरा खड़ा	10-20
26	चीड़ हरा खड़ा	20-30	56	चीड़ हरा खड़ा	20-30
27	चीड़ हरा खड़ा	20-30	57	चीड़ हरा खड़ा	20-30
28	चीड़ हरा खड़ा	20-30	58	चीड़ हरा खड़ा	20-30
29	चीड़ हरा खड़ा	20-30	59	चीड़ हरा खड़ा	10-20
30	चीड़ हरा खड़ा	20-30	60	चीड़ हरा खड़ा	60-70

Total = 60 वृक्ष

(शम्भु प्रसाद पैन्थूली)
वन दरोगा, भंलोली सैक्शन
नौगांव रेंज

(दिनेश लाल)
वन क्षेत्राधिकारी,
नौगांव रेंज

(बालमिया)
पटवारी भंकोली
तहसील पुरोला

(पंकज कुमार)
कनिष्ठ अभियन्ता

वन प्रशासकीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट

प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)

प्रारूप-6
प्रारम्भिक संयुक्त निरीक्षण रिपोर्ट

दिनांक 11/02/2015 को सिंचाई खण्ड, पीएम0जी0एस0वाई0, पुरोला (एजेन्सी का नाम) के द्वारा नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग कि0मी0 2 से थली गाँव तक बनाये जाने वाले मार्ग/प्रस्तावित परियोजना को बनाये जाने हेतु स्थल निरीक्षण किया गया। संयुक्त निरीक्षण के समय वन विभाग की ओर से श्री महेन्द्र सिंह, वन क्षेत्राधिकारी पुरोला रेंज, राजस्व विभाग की ओर से श्री बालमिया राजस्व उपनिरीक्षक, भंकोली प्रस्तावक विभाग की ओर से श्री आनन्द मोहन रायजादा, सहायक अभियंता, अन्य दावेदारों की ओर से श्री बुद्धिसिंह, सामाजिक कार्यकर्ता ग्राम थली तथा स्थानीय प्रतिनिधि के रूप में श्रीमती शुशीला देवी प्रधान ग्राम पंचायत थली के द्वारा प्रश्नगत परियोजना को बनाने हेतु सर्वश्रेष्ठ स्थल/समरेखन के चयन तथा अन्य वैकल्पिक स्थलों/समरेखनो के चयन हेतु भाग लिया गया।

संयुक्त निरीक्षण में पाया गया कि सामाजिक आवश्यकता, परिस्थितिक आवश्यकता, आर्थिक मितव्यता तथा तकनीकी आवश्यकता के दृष्टि से जो समरेखन/स्थल सर्वथा उपयुक्त पाया गया है उसमें 0 (मी0) नाप भूमि. से, 0 (मी0) सिविल भूमि से, 0 (मी0) वन पंचायत से, 2.0925 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0 हे0 नाप भूमि, 0 हे0 सिविल भूमि, 0 हे0 वन पंचायत भूमि, 2.0925 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 2.0925 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी एवं नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग कि0मी0 2 से थली गाँव की सम्पूर्ण मोटर मार्ग हेतु मक डिस्पोजल के लिये 4.226 हे0 सिविल सोयम भूमि की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 194 वृक्ष चीड़, कोकाट, तुन, सेमल प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

उपरोक्त सम्पूर्ण मोटर मार्ग के इस समरेखन की तुलना में जो वैकल्पिक समरेखन देखे गये उसमें 560.00(मी0) नाप भूमि. से, 1440.00(मी0) सिविल भूमि से, शून्य (मी0) वन पंचायत से, 7325.00 (मी0) आरक्षित वन भूमि प्रभावित होगी एवं इस समरेखन/स्थल के चयन में कुल 0.504 हे0 नाप भूमि, 1.296 हे0 सिविल भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि 6.5925 हे0 आरक्षित वन भूमि की आवश्यकता होगी। जिनमें से कुल 7.8885 हे0 भूमि के हस्तान्तरण की आवश्यकता होगी। इस समरेखन पर /चुने गये स्थल पर लगभग 810 वृक्ष विभिन्न प्रजाति के इस परियोजना के निर्माण से प्रभावित होंगे, जिनमें से 0 बांज प्रजाति के प्रभावित होंगे।

अतः परियोजना के निर्माण हेतु चयनित विकल्प संख्या प्रथम के वन भूमि के अतिरिक्त अन्य वैकल्पिक एवं उपयुक्त भूमि उपलब्ध नहीं है तथा इस चुने गये वन भूमि की मांग न्यूनतम है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण आरक्षित वन 01 कक्षों से गुजरेंगा/में स्थित है। इन कक्षों की वर्तमान वन आच्छादन सामान्य है एवं इन कक्षों में विभिन्न प्रजाति के वन हैं। प्रभावित होने वाली नाप भूमि 0.945 है0 पर शून्य प्रजाति के वन हैं एवं प्रभावित होने वाली सिविल तथा नाप भूमि पर चीड़ प्रजाति के वन हैं जिनका वर्तमान वन आच्छादन 0.20 है। चुने गये समरेखन का प्रारम्भ होने के स्थल का GPS मान $30^{\circ}47'25.16''N, 78^{\circ}07'14.63''E$ है तथा यह स्थल नौगाँव पुरोला मोटर मार्ग के कि0मी0 2 से प्रारम्भ होता है तथा समरेखण का अन्तिम स्थल ग्राम थली है जिसका GPS मान $30^{\circ}47'10.47''N, 78^{\circ}06'21.30''E$ है। चुने गये समरेखण/स्थल के बीच के स्थलों के GPS मान $30^{\circ}47'52.84''N, 78^{\circ}06'47.81''E$ हैं।

चयनित समरेखन में कुल शून्य पौधों को अन्य स्थानान्तरित (translocate) किया जाना आवश्यक होगा।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण किसी राष्ट्रीय पार्क/वन्य जीव अभ्यारहण्य का हिस्सा नहीं है।

चयनित उपयुक्त स्थल/समरेखण के चयन से ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं होगा।

इस समरेखण पर मोटर मार्ग निर्माण के निर्माण के दौरान जो मलवा उत्सर्जित होगा उसके निस्तारण हेतु 05 स्थल उपयुक्त पाये गये हैं जिनका GPS मान (1) $30^{\circ}47'20.12''N, 78^{\circ}07'11.95''E$, (2) $30^{\circ}47'10.95''N, 78^{\circ}07'9.29''E$, (3) $30^{\circ}47'19.42''N, 78^{\circ}07'9.32''E$, (4) $30^{\circ}47'27.32''N, 78^{\circ}07'5.61''E$, (5) $30^{\circ}47'10.63''N, 78^{\circ}06'21.60''E$ हैं।

अन्य आवश्यक विवरण :- उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण से स्थानीय ग्रामवासियों को मोटर मार्ग यातायात की सुविधा प्राप्त होगी एवं साथ ही स्थानीय कास्तकार मोटर मार्ग के द्वारा अपनी नगदी फसलों को कम ढुलान दरों पर स्थानीय मण्डियों में विपणन हेतु पहुँचा पायेंगे, इससे क्षेत्र का आर्थिक एवं सामाजिक विकास होगा।

(ए0एम0 रायजादा)
सहायक अभियंता
सिंचाई खण्ड, पी.एम.
जी.एस.वाई, पुरोला
(उत्तरकाशी)
(प्रयोक्ता एजेन्सी)

(वन क्षेत्राधिकारी)
नवसेन
तौंस वन प्रभाग, पुरोला

(बालमिया लाल)
उपराजस्व निरीक्षक,
भंकोली पुरोला

(बुद्धिलाल)
सामाजिक कार्यकर्ता
थली, पुरोला

(शुशीला देवी)
प्रधान ग्रामपंचायत
थली पुरोला

(वन विभाग)

(राजस्व विभाग)

(अन्य दावेदार)

(जन प्रतिनिधि)

नोट- इस रिपोर्ट पर भूवैज्ञानिक की राय भी प्रस्ताव बनाने से पूर्व में ही प्राप्त कर ली जाये।

उप प्रभागाय वनाधिकारी
टोम्स वन प्रभाग,
पुरोला

(संदीप कुमार)
उप वन संरक्षक
तौंस वन प्रभाग, पुरोला

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी पुरोला, पुरोला रेंज।

पत्रांक 246 / 12

दिनांक 9/3/2015।

सेवामे,

उप वन संरक्षक

टैन्स वन प्रभाग, पुरोला

विषय:-

नौगांव पुरोला मोटर मार्ग कि०मी० 2 से थली मोटर मार्ग आने वाले वृक्षों की गणना के सम्बन्ध मे।

महोदय,

पुरोला रेंज के अन्तर्गत उडुग बीट में नौगांव पुरोला मोटर मार्ग कि०मी० 2 से थली मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण दिनांक 11.02.2015 को लो०नि०वि० के कर्मचारियों के साथ श्री कुन्दन लाल वन दरोगा द्वारा किया गया है उक्त मार्ग में निम्नानुसार वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं। जिनकी सूची निम्न प्रकार से है:-

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	कीमत 01.07.2012 के अनुसार अनुसूचित दरे
आरक्षित वन भूमि में 1-7 मी० चौड़ी पट्टी में आने वाले वृक्षों की सूची क. सं. 8 डुंग-1				
1	चीड़ हरा खड़ा	0-10	01	240.00
2	चीड़ हरा खड़ा	10-20	11	2640.00
3	चीड़ हरा खड़ा	20-30	19	11400.00
4	चीड़ हरा खड़ा	30-40	38	88540.00
5	चीड़ हरा खड़ा	40-50	38	192660.00
6	चीड़ हरा खड़ा	50-60	20	171300.00
7	चीड़ हरा खड़ा	60-70	04	52540.00
8	चीड़ हरा खड़ा	70-80	03	55950.00
कुल योग-			134 वृक्ष	575270.00

क्र० सं०	प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	कीमत 01.07.2012 के अनुसार अनुसूचित दरे
आरक्षित भूमि में 7-9 मीटर चौड़ी पट्टी में आने वाले वृक्षों की सूची 8 डुंग-1				
1	चीड़ हरा खड़ा	10-20	11	2640.00
2	चीड़ हरा खड़ा	20-30	09	5400.00
3	चीड़ हरा खड़ा	30-40	15	34950.00
4	चीड़ हरा खड़ा	40-50	16	81120.00
5	चीड़ हरा खड़ा	50-60	07	59955.00
6	चीड़ हरा खड़ा	60-70	01	13135.00
7	चीड़ हरा खड़ा	70-80	01	18650.00
कुल योग-			60	215850.00

अतः सूचना रिपोर्ट महोदय की सेवामे आपरपक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

भवदीय
वन क्षेत्राधिकारी
पुरोला रेंज

Antarajala

Act. (M.C.V. 10)

10/3/15